

No.2016/HQ/Admin/RTI/42

New Delhi: 05.05.17

Shri Satish Chandra  
S/o Shri Janki Prasad,  
R/o Village & PO: Baghai Pratham,  
Tehsil: Tundla,  
Distt: Firozabad,  
Uttar Pradesh.

विषय: सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराने के संबंध में।  
**Providing Information under the RTI Act-2005.**  
संदर्भ: Your Original RTI application dt 15.02.2017 received on 20.02.17.

प्रिय सूचनार्थी,

आपके उपरोक्त सूचना आवेदन के संबंध में मद-वार जानकारी इस प्रकार है:

**प्रस्तर 1:-**

अभिलेखों के अनुसार, जिला- अलीगढ़, हाथरस, कानपुर देहात, औरैया तथा इटावा में सीमान्त श्रेणी के किसान की अर्जित भूमि के उपरान्त राष्ट्रीय पुर्नवास नीति के अन्तर्गत 750 दिन की मजदूरी के बराबर देय राशी का भुगतान किया जा रहा है।

**प्रस्तर 2:-**

मौलिक पात्रता के नोट ड की परिभाषा के अनुसार "ऐसा खेतिहर जिसके पास एक हेक्टेयर तक असिचित भूमि हो या आधे हेक्टेयर तक सिचित भूमि हो" सीमांत किसान माना जाता है।

**प्रस्तर 3:-**

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि "रेलवे संशोधित अधिनियम-2008" एवं मौलिक पात्रता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, ग्रुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, नई दिल्ली-110001.

**Copy to: CPM/Tundla**



ED556023638IN



(तेजपाल चावला)

(Tejpal Chawla)

उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आर टी आई

DGM/Admin/RTI